संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें

मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी/2015/ भोपाल,दिनांक / /2015

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 21.08.2015 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा पर निम्नलिखित नॉन मेडिकल सुपरवाईजर (कुष्ठ) को वरिष्ठ नॉन मेडिकल सुपरवाईजर (कुष्ठ) के पद पर वेतनमान रूपये 9300–34800 +ग्रेड पे 3600 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन अस्थाई तौर से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है।

क.	कर्मचारी का नाम	वर्ग	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना स्थान
1	श्री मुन्नालाल मण्डलोई	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड
2	श्री सतीष चन्द्र शर्मा	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नरसिंहपुर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाडा
3	श्री राम शंकर मेहतो	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल
4	श्री व्ही.पी. शिवहरे	अनारक्षित	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बडवानी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धार

1. पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जॉच/आपराधिक प्रकरण लंबित है अथवा निलंबित है, तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे ।
2. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 15 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य है । अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा ।
3. संबंधित कर्मचारियों के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस मे आवश्यक रूप से भेजना होगा । अतिशेष की स्थिति मे कर्मचारियों को कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं कराया जावे ।
4. पदोन्नत कर्मचारियों के समस्त मूल अभिलेखों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराई जाने की पूणरूपेण जिम्मेदारी जहां उन्हें पदस्थ किया गया है के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी । सभी प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरान्त ही कार्यभार ग्रहण कराया जाना आवश्यक होगा । यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाणपत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कर्तव्य पर उपस्थित न कराते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को विशेष डाक द्वारा भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

निरंतर.......2

5. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति)नियम 2002 के तहत निर्धारित अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधि निर्देशो का पालन किया गया है ।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

हस्ता/-

उप संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल–डी.पी.सी/2015/686-F
भोपाल,दिनांक28/08/2015

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन , लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश ।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/ अपर संचालक,प्रशासन स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश ।
3. अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय ।
4. संयुक्त संचालक (कुष्ठ) स्थानीय कार्यालय ।
5. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
6. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य संवायें भोपाल, इन्दौर,, जबलपुर, ग्वालियर, संभाग मध्यप्रदेश।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भोपाल, राजगढ, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वानी ,भिण्ड, छिन्दवाडा, धार मध्यप्रदेश।
8. जिला कुष्ठ अधिकारी भोपाल, राजगढ, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, बड़वानी ,भिण्ड, छिन्दवाडा, धार ,मध्यप्रदेश ।
9. संबंधित कर्मचारी, की और उपरोक्तानुसार पालनार्थ ।

28/8/15

उप संचालक (अविज्ञप्त)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश